संख्या-57/2025-900-22-4-2025-1858195

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 02 दिसम्बर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की 58 कारागारों में 502 अदद सोलर बेस्ड हाईमास्ट/स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-38611/आधु-1/हाईमास्ट/2025-26, दिनांक 09.10.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की 58 कारागारों में 502 सोलर बेस्ड हाईमास्ट/स्ट्रीट लाईट के क्रयार्थ हेतु धनराशि **रू0 1000.00 लाख (रूपया दस करोड़ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित अग्रिम के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू0 400.00 लाख के भुगतान के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु अपेक्षित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने तथा अग्रिम आहरण की धनराशि की स्वीकृति पर वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 10.06.2011 एवं दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अग्रेतर कार्यवाही करते हुये सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(3) महानिरीक्षक कारागार द्वारा सोलर बेस्ड हाईमास्ट/स्ट्रीट लाईट का क्रय सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर नियमानुसार किया जाएगा।

(4) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा सोलर बेस्ड हाईमास्ट/स्ट्रीट लाईट का क्रय किये जाने हेतु यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) महानिरीक्षक कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित क्रयार्थ सोलर बेस्ड हाईमास्ट/स्ट्रीट लाईट के मेक/मॉडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(6) महानिरीक्षक कारागार क्रयार्थ सोलर बेस्ड हाईमास्ट/स्ट्रीट लाईट के गुणवत्ता/उपयोगिता तथा समयान्तर्गत आपूर्ति के संबंध में पूर्णत: संतुष्ट हो लेगें।

(7) सोलर बेस्ड हाईमास्ट/स्ट्रीट लाईट का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(8) महानिरीक्षक कारागार द्वारा प्रस्तावित उपकरणों के क्रयार्थ स्वीकृति प्रदान किये जाने पर वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002200 कारागारों में सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, हाईमास्ट तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-375-X-2025-26, दिनांक: 01.12.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-57/2025-900-22-4-2025-1858195, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in